5/15 जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Gen. No 13

मुन्तकिली प्रकरण सं0 04/2015 अनवानी 1—केसरदेवी बेवा सरदाराराम व नंदलाल पुत्र सरदाराराम जाति मेघवाल साकिन भैरूकला (शीलवानी) तहसील सूरतगढ बनाम 1—चम्पालाल पुत्र हरचन्दराम जाति मेघवाल निवासी साकिन भैरूकला (शीलवानी) तहसील सूरतगढ 2—स्टेट आफ राज0 जरिये अति0 जिलाधीश, श्रीगंगानगर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.11.2015

प्रार्थीयान के अभिभाषक श्री तेजा सिंह उपस्थित है। अप्रार्थी चम्पालाल के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। उन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी चम्पालाक के अभिभाषक श्री विक्रम बिश्नोई का कथन है कि प्रार्थीयान द्धारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ में लंबित प्रकरण संख्या 38/2014 नंदलाल बनाम चम्पालाल अन्तर्गत धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि तत्कालीन अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ़ श्री एन.डी.मटई दिनांक 30.09.2015 को सेवानिवृत हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थीयान के अभिभाषक श्री तेजा सिंह का कथन है कि अगर उक्त आधार पर उनका मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थीयान द्धारा यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ में लंबित प्रकरण संख्या 38/2014 नंदलाल बनाम चम्पालाल अन्तर्गत धारा 11/14 उपनिवेशन अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर प्रस्तुत किया गया है। यह कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली मुकदमा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि श्री एन.डी.मटई तत्कालीन अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ़ दिनांक 30.09.2015 को सेवानिवृत हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयान का यह मुकदमा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

२२२७
२३।११।१५

यह आदेश आज दिनांक 17.11.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर